कार्यालय अधिशासी अभियन्ता
प्रान्तीय खण्ड लोक निर्माण विभाग, नई टिहरी
Office of the Executive Engineer, Provincal Division P.W.D New Tehri(Baurari)
Phon/Fax No.-01376-233312 E-Mail-eepwdtehri@rediffmail.com

पत्रांक 2096 / 1 ए० 16 / 09 / 2021

सेवा में,

Vindhya Telelinks Ltd.
Houe No. 50 phase-3
Enginners Enclave, GMS Road
Dehradun

विषयः–टिहरी–हिण्डोलाखाल–देवप्रयाग–व्यासघाट मो0 मार्ग के टिपरी चौक से रोडधार तक 31 किमी0 लम्बाई में एरियल विधि द्वारा ओ0एफ0सी0 केबल बिछाने हेतु पोल लगाने की अनुमति विषयक।

सन्दर्भः–आपका पत्रांक VTLEPC/TEL/UK/42 dated 12-03-2021

महोदय,

उपरोक्त विषयक सन्दर्भित पत्र के कम में आपके द्वारा प्रेषित चैक सं0 040237 दिनांक 05.03.2021 भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली द्वारा रू0 725000.00 इस कार्यालय में प्राप्त किया गया, जिसके कम में टिहरी–हिण्डोलाखाल–देवप्रयाग–व्यासघाट मो0 मार्ग के टिपरी चौक से रोडधार तक 31 किमी0 तक एरियल विधि द्वारा ओ0एफ0सी0 केबल लाईन बिछाने हेतु अनुमति निम्न प्रतिबन्धों के साथ दी जाती हैः–

1. यदि भविष्य में मार्ग चौडीकरण/सुदृढीकरण का कार्य विभाग द्वारा किया जाता है तो आपके द्वारा बिछायी गयी लाईन आपके विभाग को अपने व्यय पर शिफ्ट करनी पडेगी। यदि निर्धारित समय पर आपके द्वारा उक्त लाईन नही हटायी जाती है तो विभाग को उक्त लाईन को हटाने तथा इस कार्य पर होने वाले व्यय को आपसे वसूल करने का पूर्ण अधिकार होगा।
2. ओ0एफ0सी0 बिछाने का कार्य पूर्ण सावधानी तथा यातायात की सुरक्षा प्रबन्ध तथा बैरिकेटिंग, Reflacting आदि किये जाने के पश्चात किया जायेगा तथा लो0नि0वि0 द्वारा दी गयी समय सीमा के अन्तर्गत कार्य पूर्ण करना होगा।
3. ओ0एफ0सी0 लाईन बिछाते समय यातायात की सुविधा एवं सुरक्षा के लिये मार्ग के दोनों ओर प्रबन्ध किये जाये, यदि कोई दुर्घटना घटती है तो इसका पूर्ण उत्तरदायीत्व आपका होगा।
4. कार्य प्रारम्भ करने से पूर्व लो0नि0वि0, पुलिस विभाग एवं जिलाधिकारी महोदय टिहरी गढवाल को यथासमय सूचित किया जाय।
5. रोड कटिंग चार्जेज रू0 725000.00 जो आपके द्वारा चैक नं0 040237 दिनांक 05.03.2021 भारतीय स्टेट बैंक नई दिल्ली द्वारा जमा किये गये हैं व मार्ग को भविष्य में सुचारू रूप से यातायात चालू रखने हेतु व्यय किये जाते है। यह राशी Non Refundable है।
6. खुदायी की मिटटी पक्की सतह पर न डाली/छोडी जाय।
7. एरियल पोल लगाने पर मार्ग के यातायात में किसी भी प्रकार की बाधा/असुविधा नही होनी चाहिये।
8. एरियल पोल लगाने के पश्चात गढढा पूर्ण रूप से भरना होगा, ताकि किसी प्रकार की दुर्घटना न हो एवं निर्माण के समय मार्ग के दोनों ओर "निर्माण कार्य प्रगति पर है" का साईन बोर्ड अवश्य लगाना होगा।
9. एरियल पोल लगाते समय किसी भी प्रकार की दुर्घटना होने पर इसकी सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

16/09

10. मार्ग के किनारे लगे कि0मी0 स्टोन/हे0मी0 स्टोन, ऐज स्टोन, बोर्ड, पाईप लाईन आदि कोई भी क्षति होने पर इसकी मरम्मत की सम्पूर्ण जिम्मेदारी आपकी होगी।

11. एरियल पोल लगाते समय मार्ग की लेपित सतह को किसी भी प्रकार की क्षति न पहुंचाई जाय।

(इं0 के0 एस0 नेगी) 16/09

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,नईटिहरी

प्रतिलिपिः— जिलाधिकारी महोदय, टिहरी गढवाल नई टिहरी को सूचनार्थ प्रेषित।

प्रतिलिपिः— सहायक अभियन्ता—पंचम, प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 नई टिहरी बौराडी को इस आशय से प्रेषित कि मार्ग कटिंग हो जाने पर काटे गये क्षेत्रफल की वास्तविक विस्तृत सूचना एवं अतिरिक्त कटिंग का बिल अनिवार्य रूप से इस कार्यालय को प्रेषित किया जाय। यदि निरीक्षण के दौरान इसमें अनिमियतिता पायी गयी तो इसकी सीधी जिम्मेदारी सम्बन्धित मेट, अपर सहायक अभियन्ता/कनिष्ठ अभियन्ता की होगी।

प्रतिलिपिः— खण्डीय रोकडिया अधिकारी, प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 नई टिहरी बौराडी को आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

प्रतिलिपिः— कनिष्ठ अभियन्ता प्रा0 खण्ड लो0नि0वि0 नई टिहरी बौराडी को सूचनार्थ/अभिलेख हेतु प्रेषित।

अधिशासी अभियन्ता

प्रान्तीय खण्ड,लो0नि0वि0,नईटिहरी